इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2021—भाद्र 5, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

एफ-14-82-1988-दस-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 28 के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"34. धारा 28 के अधीन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में, तथा धारा 64 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों एवं वन विभाग द्वारा प्रबंधित चिड़ियाघरों में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क और प्रवेश अनुज्ञा की शर्तें,—

1. **प्रवेश अनुज्ञा-पत्र.**—(1) कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों अथवा चिड़ियाघरों में, धारा 28 की उपधारा (1) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए एवं इन नियमों में यथा विहित के अनुसार ऐसे शुल्क

के भुगतान पर, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए विधिमान्य प्रवेश अनुज्ञा-पत्र के बिना, प्रवेश नहीं करेगा.

(2) प्रवेश अनुज्ञा-पत्र वैयक्तिक, अहस्तांतरणीय तथा प्रवेश अनुज्ञा-पत्र में वर्णित कालावधि के लिए प्रवेश हेतु विधिमान्य होगा.

2. **विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत आधीन प्रवेश शुल्क में छूट.**—(1) राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों और चिड़ियाघरों में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, अर्थात्:—

(क) वन्य जीवों का अध्ययन या अन्वेषण और उसके आनुषंगिक उद्देश्य;

(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(ग) राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारोबार का संव्यवहार;

(घ) **टाइगर रिजर्व के बफर जोन में और राष्ट्रीय उद्यानों (वन विहार के अतिरिक्त) एवं अभ्यारण्यों की 5 किलोमीटर की सीमाओं के भीतर स्थित ग्रामों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के छात्रों की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं अथवा ईको विकास समितियों के सदस्यों की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं;**

(ङ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार या विभिन्न राज्यों के वन विभागों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के छात्रों, प्रशिक्षुओं, अनुदेशकों और सहायक कर्मचारिवृंद की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं;

(च) अनुभूति कार्यक्रम एवं मोगली उत्सव के प्रतिभागियों को कार्यक्रम के दौरान वन्यप्राणी सप्ताह में पुरस्कृत प्रतिभागियों को एक बार पुरस्कार के रूप में;

(छ) 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रवेश.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (घ) के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को नियमित प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी यदि ऐसी प्राधिकृत अध्ययन यात्राओं की पूर्व अनुमति ले ली गई हो. यह सुविधा किसी संस्थान में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पूरे पर्यटन वर्ष, अर्थात् 1 जुलाई से 30 जून तक, के दौरान खुली अवधि में केवल एक बार एक भ्रमण हेतु दी जाएगी.

(3) विशेष परिस्थितियों में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश अथवा संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र या चिड़ियाघर के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह को अधिकतम धारण क्षमता की सीमाओं के भीतर प्रवेश शुल्क से पूर्णतः छूट दी जा सकेगी.

(4) उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित प्रयोजनों के लिए प्रवेश अनुज्ञा पत्र की पात्रता एवं शर्तें, एक विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा पृथक से अभिनिश्चित की जाएगी.

3. **पर्यटन प्रयोजनों हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण एवं प्रवेश शुल्कः—**

(1) वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्रों की वर्गीकृत सारणी

अनु. क्र. (1)	वर्ग (2)	सम्मिलित संरक्षित क्षेत्रों का विवरण (3)	वर्ग गुणांक/ सारणी (4)
1	वर्ग-1	कोर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित अभयारण्यों को समाविष्ट करते हुए टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में पूर्ण रूप से विस्तारित पर्यटन जोन एवं ऐसे पर्यटन जोन जो अंशतः कोर एवं बफर दोनों क्षेत्रों में विस्तारित हों.	1.6
2	वर्ग-2	टाइगर रिजर्वों के बफर क्षेत्र में पूर्ण रूप से विस्तारित पर्यटन जोन	0.8
3	वर्ग-3	माधव राष्ट्रीय उद्यान; गांधीसागर, नौरादेही, रातापानी, कूनो पालपुर एवं खिवनी अभयारण्य फेन अभयारण्य.	0.5
4	वर्ग-4	(क) फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा एवं डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, धार	0.2
		(ख) सैलाना, सरदारपुर, घाटीगांव, करेरा, केन घड़ियाल, सोन घड़ियाल, राष्ट्रीय चंबल, नरसिंहगढ़, बगदरा, वीरांगना दुर्गावती, सिंघोरी एवं ओरछा अभयारण्य.	
		(ग) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त किसी भी वर्ग के भीतर पर्यटन हेतु निर्दिष्ट समस्त विशिष्ट स्थल एवं व्यू पॉइंट्स.*	

(1)	(2)	(3)	(4)
5	वर्ग-5	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त किसी भी वर्ग के भीतर पर्यटन प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट विशिष्ट स्थलों एवं व्यू पॉइंट्स में से कोई एक स्थल.	0.1
6	वर्ग-6	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर	सारणी 3(4)

(क) किसी संरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र या चिड़ियाघर में प्रवेश शुल्क हेतु दरें उपरोक्त सारणी में वर्णित वर्ग गुणांक के साथ उपनियम 2 की सारणी (क) एवं (ख) में वर्णित दरों से गुणा कर प्राप्त की जाएंगी. यह गुणनफल रुपये 5/- (रुपए 100/- तक की रकम के लिए) या रुपए 10/- रुपये (100/- के बराबर या अधिक की रकम के लिए) के अगले गुणा से पूर्णांकित होगी या वास्तविक प्रवेश शुल्क लिया जाएगा.

(ख) *ये दरें एक भ्रमण हेतु हैं एवं अनुज्ञा-पत्र एक दिवस हेतु विधिमान्य रहेगा. पचमढ़ी में समस्त विनिर्दिष्ट स्थलों एवं व्यू पॉइंट्स के भ्रमण के लिये पर्यटक 3 दिवसीय विधिमान्य वाले विशेष अनुज्ञा-पत्र दुगनी दर से भुगतान कर प्राप्त किये जा सकेंगे.

(2) वाहन आधारित पर्यटन हेतु प्रवेश शुल्क.—

(क) प्रबंधन के साथ पंजीकृत पर्यटक वाहनों के लिये प्रवेश शुल्क.—

क्र. (1)	अनुज्ञा-पत्र का प्रकार (2)	दरें (राशि रु. में) (3)
1	एकल सीट अनुज्ञा-पत्र (हल्के वाहन एवं मिनी बस)	रु. 250
2	संपूर्ण वाहन अनुज्ञा-पत्र (केवल हल्के वाहन, अधिकतम 6 पर्यटक)	रु. 1500

(ख) निजी अपंजीकृत वाहन से पर्यटन हेतु प्रवेश शुल्क, जहां प्रबंधन द्वारा ऐसे वाहन अनुज्ञत हैं.

अ. क्र. (1)	वाहनों की श्रेणी के आधार पर अनुज्ञा-पत्र का प्रकार (2)	दरें (राशि रु. में) (3)
1	दोपहिया वाहन (स्कूटर, मोटर साइकिल एवं अन्य दो पहिया मोटर वाहन अधिकतम 2 व्यक्ति)	रु. 500
2	ऑटो रिक्शा (अधिकतम 3 व्यक्ति)	रु. 1000
3	हल्के मोटर वाहन (अधिकतम 6 व्यक्ति)	रु. 1500
4	बस/मिनी बस	रु. 3000

(ग) उपरोक्त (क) में वर्णित शुल्क मात्र प्रवेश अनुज्ञा-पत्र हेतु हैं. पंजीकृत पर्यटक वाहन हेतु वाहन प्रभार भ्रमण के पूर्व वाहन मालिक को पृथकतः से देय होगा. उपरोक्त (क) एवं (ख) में गाइड शुल्क भी सम्मिलित नहीं है जो गाइड को पृथकतः देय है.

(घ) उपरोक्त (क) में वर्णित एकल सीट अनुज्ञा हेतु पर्यटन वाहन प्रभार तथा गाइड शुल्क वाहन में उपस्थित कुल पर्यटकों के मध्य समान रूप से विभाजित की जाएगी तथा प्रवेश के समय देय होगी.

(ङ) वाहन में अनुज्ञात व्यक्तियों की संख्या में चालक और गाइड की गणना सम्मिलित नहीं की जाएगी.

(च) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी यह निर्धारण करेंगे कि पर्यटकों की सुरक्षा तथा पर्यटन मार्गों की स्थानीय परिस्थितियों आदि के आधार पर ऐसे वाहन के वर्ग/प्रकार का विनिश्चय करेगा जिसे पर्यटन प्रयोजन हेतु संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा.

(छ) पर्याप्त संख्या में पंजीकृत वाहनों की अनुपलब्धता की दशा में या अन्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर स्थानीय प्रबंधन द्वारा आदेश जारी कर अपंजीकृत वाहनों को प्रवेश हेतु अनुमति जारी की जा सकेंगी. ऑन लाईन बुक किये गये अनुज्ञा-पत्रों में प्रवेश शुल्क के अंतर की राशि पार्क में प्रवेश के समय पर्यटकों द्वारा देय होगी.

(ज) धारा-3 की उपधारा (2) की सारणी (क) में वर्णित एकल सीट अनुज्ञा हेतु प्रवेश दरों में 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों हेतु आधा शुल्क देय होगा एवं उन्हें वाहन में एक सीट उपलब्ध कराई जायेगी. पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे निःशुल्क प्रवेश के हकदार होंगे एवं अपने अभिभावकों के साथ बैठेंगे.

(झ) यदि किसी पर्यटक के पास वर्ग-1, वर्ग-2, वर्ग-3, वर्ग-4(ख) के अनुसार प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् वाहन द्वारा किसी पर्यटन जोन में संपूर्ण सफारी राउन्ड हेतु अनुज्ञा-पत्र हो, तो वह उस पर्यटन जोन

के भीतर स्थित किसी विशिष्ट स्थल/व्यू पॉइंट में बिना कोई अतिरिक्त शुल्क जा सकेगा. यदि कोई पर्यटक, संरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित केवल अधिसूचित विशिष्ट स्थल/व्यू पॉइंट मात्र का भ्रमण करना चाहता है तो उसे उपरोक्त सारणियों में वर्ग-4(ग)/वर्ग-5 के अनुसार शुल्क देय होगी. इस प्रकार से केवल विशिष्ट स्थल/व्यू पॉइंट का अनुज्ञा-पत्र लेने वाले पर्यटक प्रबंधन के द्वारा विनिश्चित मार्ग एवं समय पर भ्रमण कर सकेंगे.

(ञ) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा परिचालित होटल/रिसॉर्ट/लॉज से अनुरोध प्राप्त होने पर, होटल/रिसॉर्ट/लॉज हेतु सीमित संख्या में, एक वर्ष के लिये वैध, प्रति नेचुरलिस्ट रु. 10,000/- के पंजीकरण शुल्क से नेचुरलिस्टों का पंजीकरण करेगा तथा एक परिचय-पत्र जारी करेगा.

(ट) अनुज्ञापत्र धारी पर्यटकों के साथ पंजीकृत पर्यटक वाहनों में स्थान उपलब्ध होने पर उक्त नेचुरलिस्ट, अनुज्ञा-पत्र में नाम दर्ज न होने पर भी, पर्यटकों के वाहन में सहयोगी के रूप में जा सकेंगे. ऐसे वाहनों में पार्क गाइड भी पूर्ववत् की भांति उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे. "पंजीकृत नेचुरलिस्ट को प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के साथ (बिना वाहन चालान के) भ्रमण हेतु प्रवेश की अनुमति होगी.".

(3) वाहन द्वारा पार्क भ्रमण के भिन्न अन्य गतिविधियों हेतु प्रवेश शुल्क (राशि रु. में)

(क) शुल्क सारणी

क्र. (1)	प्रवेश का प्रयोजन (2)	प्रति पर्यटक दर (3)
1	पैदल/ट्रैकिंग/साइकलिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए विनिर्दिष्ट मार्गों पर)	रु. 150
2	विनिर्दिष्ट हाइड (hide) मचान/वॉच टॉवर से वन्य प्राणी दर्शन संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किये गये स्थल में.	स्थानीय प्रबंधन द्वारा नियत किया जाएगा.
3	कैंपिंग (केवल संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए परिसरों में)	रु. 750

(ख) मोटर चलित नाव/पोत द्वारा जल सफारी के लिए प्रवेश शुल्क

अनुक्रमांक (1)	अनुज्ञा का प्रकार (2)	दर (राशि रु. में) (3)
1	पूरे दिन के लिए एकल सीट अनुज्ञा-पत्र (मोटर चलित नाव/पोत)	500/-
2	सुबह या शाम के भ्रमण के लिए एकल सीट अनुज्ञा (मोटर चलित नाव/पोत)	250/-

i उपरोक्त तालिका में उल्लेखित शुल्क केवल प्रवेश अनुज्ञा-पत्र के लिए है. पर्यटकों के लिए पंजीकृत मोटर चलित नाव/पोत के लिए मोटर चलित नाव/पोत शुल्क, यात्रा से पहले, मोटर चलित नाव/पोत के मालिक/संचालक को अलग से देय है.

गाइड शुल्क भी उपरोक्त तालिका (बी) में शामिल नहीं है, जो अधिकृत गाइड के लिए पृथक् से देय है.

ii पर्यटन जल मार्गों की स्थानीय स्थितियों के अनुसार और पर्यटकों की सुरक्षा आदि को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी मोटर चलित नाव/पोत का वर्ग/प्रकार का निर्धारण करेंगे जो पर्यटन उद्देश्य के लिए संरक्षित क्षेत्रों के अंदर प्रवेश के लिए अनुमत्य होगी.

iii 5-12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एकल सीट परमिट के लिए प्रवेश शुल्क उपरोक्त तालिका (बी) में उल्लेखित शुल्क का आधा होगा एवं उन्हें सफारी मोटर चलित नाव/पोत में एक सीट उपलब्ध कराई जावेगी. पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे नि:शुल्क प्रवेश के पात्र होंगे और वे अपने माता-पिता द्वारा धारित सीट साझा करेंगे.

iv संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी पर्यटन उद्देश्य के लिए जल मार्ग निर्धारित करेंगे और मोटर चलित नाव/पोत के संचालन के मार्गों को भी चिन्हांकित करेंगे.. बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग की अनुमति केवल पूर्व निर्धारित लैडिंग साइटों पर दी जाएगी, जैसा कि संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा नाव/पोत के संचालकों के अनुरोध पर निर्धारित की गई हों. मोटर चलित नाव/पोत को निर्दिष्ट लैंडिंग साइटों से पृथक किसी अन्य स्थान पर डॉक नहीं किया जावेगा.

v संरक्षित क्षेत्रों के प्रभारी अधिकारी द्वारा तय की गई अवधि के लिए ही जल सफारी की अनुमति होगी और उसे जलीय जीवों के घोंसले बनाने और प्रजनन काल के दौरान या किसी अन्य प्रबंधकीय कारणों से क्षेत्र को बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा.

vi जल मार्ग की धारण क्षमता, यात्राओं की संख्या, यात्रा की अवधि, यात्राओं की समय-सीमा, किनारे से न्यूनतम दूरी, नाव/पोत में अधिकतम अनुमत्य पर्यटकों की संख्या और दो मोटर चलित नावों/पोतों के बीच संचालन के समय का अंतर आदि मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के परामर्श से संरक्षित क्षेत्रों के प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जावेगा.

vii मोटर चलित नाव/पोत पर सवार होने वाले पर सभी आगंतुक/पर्यटक क्षतिपूर्ति बांड हस्ताक्षर करेंगे और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन द्वारा निर्धारित सभी क्या करें एवं क्या न करें संबंधित निर्देशों का पालन करना होगा. मोटर चलित नाव/पोत पर सवार प्रत्येक पर्यटक को जल सफारी के दौरान जीवन रक्षा जैकेट पहनना होगा और सभी सुरक्षा निर्देशों और नियमों का पालन करना होगा. किसी भी मामले में संगीत बजाना, वन्यजीवों और मछलियों को खिलाना आदि, लाउड स्पीकर का उपयोग और जलीय संरचना में किसी भी प्रकार का कचरा निपटान या कोई भी गतिविधि जो वनस्पतियों और जीवों पर व्यवधान और प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकती है, सख्ती से निषिद्ध होगी.

viii मोटर चलित नाव/पोत पर सवार कोई भी व्यक्ति किसी भी खतरनाक सामग्री या आग्नेय शस्त्र या क्षय हो चुकी खाद्य सामग्री नाव या कोई अन्य आपत्तिजनक पदार्थ नहीं रखेगा एवं जल सफारी के दौरान शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन निषेध रहेगा.

ix नाव पर सवार सभी पर्यटकों/अधिकारिक व्यक्ति/कर्मचारियों/गाइड इत्यादि के पास अनुज्ञा-पत्र के साथ एक वैध पहचान-पत्र होना अनिवार्य होगा और जिसे उन्हें मांगे जाने पर संरक्षित क्षेत्र के अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा.

(4) वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर हेतु प्रवेश शुल्क

(क) शुल्क तालिका

क्र. (1)	भ्रमण का प्रकार (2)		पर्यटकों हेतु प्रवेश शुल्क (रु. में) (3)
1	पैदल भ्रमण		रु. 20/- प्रति व्यक्ति
2	साइकिल द्वारा भ्रमण (एक व्यक्ति)		रु. 30/- प्रति साइकिल
3	दो पहिया मोटर वाहन (अधिकतम दो व्यक्ति)		रु. 60/- प्रति मोटर वाहन
4	ऑटो रिक्शा (चालक सहित अधिकतम 4 व्यक्ति)		रु. 120/- प्रति वाहन
5	हल्के चार पहिया वाहन (अधिकतम 5 व्यक्ति क्षमता वाले)		रु. 250/- प्रति वाहन
6	हल्के चार पहिया वाहन (5 व्यक्ति से अधिक क्षमता तक)		रु. 400/- प्रति वाहन
7	मिनी बस (अधिकतम 20 व्यक्ति की क्षमता तक)		रु. 1000/- प्रति वाहन
8	बस (20 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले)		रु. 2000/- प्रति वाहन
9	गोल्फ कार्ट से भ्रमण अथवा सफारी भ्रमण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से)		प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त रु. 50/- व्यक्ति.
10	सूर्यास्त उपरांत सफारी	12 वर्ष से अधिक उम्र के पर्यटक	200/- प्रति व्यक्ति
		5-12 वर्ष तक की आयु वर्ग के पर्यटक	100/- प्रति व्यक्ति
		5 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे	निःशुल्क

(ख) उपरोक्त वर्णित दरें वर्ग-6 हेतु सामान्य (Generic Rates) दरें हैं. संरक्षित क्षेत्र/चिड़ियाघर के भारसाधक अधिकारी यह निर्धारण करेंगे कि उनके संरक्षित क्षेत्र हेतु उपरोक्त में से कौनसी गतिविधियां उपयुक्त हैं तथा तदनुसार प्रवेश शुल्क लेकर उपयुक्त गतिविधियों हेतु अनुज्ञा-पत्र जारी करेंगे.

(ग) अनुक्रमांक 2 से 8 में वर्णित प्रति वाहन हेतु दरों में पर्यटकों का प्रवेश शुल्क सम्मिलित है. वाहन में उपस्थित पर्यटकों की संख्या वाहन की पंजीकृत पासिंग क्षमता से अधिक नहीं हो सकेगी.

(घ) अनुक्रमांक 9 पर गोल्फ कार्ट से भ्रमण/सफारी भ्रमण शुल्क अनुक्रमांक 01 से 08 तक वर्णित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त है.

(ङ) सफारी भ्रमण हेतु पर्यटकों की वाहन में न्यूनतम आवश्यक संख्या संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जावेगी. सफारी हेतु उपलब्ध अपर्याप्त पर्यटकों की संख्या की दशा में इच्छुक पर्यटक न्यूनतम अपेक्षित व्यक्तियों हेतु शुल्क का भुगतान करते हुए सफारी प्राप्त कर सकेंगे.

(5) प्रबंधन द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर पार्क भ्रमण सीमित कालावधि के लिए तथा मार्गों का विनिश्चय किया जाएगा. वन विहार राष्ट्रीय उद्यान/रालामंडल अभयारण्य में पैदल या साइकिल द्वारा प्रवेश शुल्क हेतु मासिक/वार्षिक/आजीवन दरें निम्नलिखित होंगी:—

अ. क्र. (1)	प्रवेश का प्रकार (2)	मासिक शुल्क (प्रति व्यक्ति) (3)	वार्षिक शुल्क (प्रति व्यक्ति) (4)	आजीवन शुल्क (प्रति व्यक्ति) (5)	अभ्युक्तियां (6)
1	पैदल	रु. 300	रु. 3000	रु. 24,000	संचालक या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस हेतु अवधि निर्धारण किया जाकर नियमित प्रवेश हेतु पास जारी किए जाएंगे.
2	साइकिल द्वारा	रु. 450	रु. 4500	रु. 30,000	

(6) क्षेत्र की विशिष्टताओं एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों तथा उसके प्रचलन का विनिश्चय किया जायेगा. वह पर्यटकों हेतु किसी नई गतिविधि भी सम्मिलित कर सकेगा. किसी नई गतिविधि को प्रस्तावित करने के पूर्व वह गतिविधि के क्षेत्र एवं शुल्क का विनिश्चय करने के पश्चात् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अनुमोदन लेगा.

(7) उपरोक्त समस्त तालिकाओं में दर्ज पर्यटन अनुज्ञा-पत्र शुल्क भारतीय पर्यटकों हेतु है. विदेशी पर्यटकों हेतु श्रेणी-1 के वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्रों में वाहन आधारित पर्यटन सफारी का पर्यटन अनुज्ञा-पत्र शुल्क भारतीय पर्यटकों हेतु निर्धारित पर्यटन अनुज्ञा-पत्र शुल्क का दुगना होगा.

(8) प्रत्येक पर्यटन वर्ष अनुज्ञा-पत्रों की ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ होने के पूर्व मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश आगामी वर्ष हेतु वन्यप्राणी पर्यटन प्रीमियम दिवसों को निर्धारित किया जाएगा. प्रीमियम दिवसों में श्रेणी-1 के वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्रों में वाहन आधारित पर्यटन सफारी का पर्यटन अनुज्ञा-पत्र शुल्क भारतीयों एवं विदेशी पर्यटकों हेतु क्रमशः वर्ग गुणांक 2 एवं 4 की दर से लिया जाएगा. सिंगल सीट अनुज्ञा-पत्र शुल्क उक्त का 1/6 होगा.

4. **ऑनलाइन अनुज्ञा-पत्रों का जारी किया जाना**

(1) उन संरक्षित क्षेत्रों के लिये जहां पर्यटक धारण क्षमता की गणना अनुसार प्रतिदिन के लिये उपलब्ध वाहनों हेतु अनुज्ञा-पत्रों की संख्या जारी किया जाना नियत है, वहां प्रतिदिन उपलब्ध कुल अनुज्ञा-पत्रों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित प्रतिशत ऑनलाइन/पर्यटन द्वार पर उपलब्ध रहेगा. प्रतिशतता अनुसार अनुज्ञा-पत्रों की वास्तविक संख्या प्राप्त करते हुए संख्या का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा:—

एकल सीट अनुज्ञा (ऑन लाइन) (1)	एकल सीट अनुज्ञा (पर्यटन द्वार पर) (2)	क्षेत्र संचालक कोटा (3)	संपूर्ण वाहन अनुज्ञा (ऑन लाइन) (4)
10 %	10 %	10 %	शेष अनुज्ञा-पत्र

(2) उन पर्यटन क्षेत्रों में जहां पर्यटक धारण क्षमता एवं प्रतिदिन जारी किये जाने वाले अनुज्ञा-पत्रों की उच्च सीमा विनिश्चित नहीं है, ऐसे क्षेत्रों हेतु मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक धारण क्षमता विनिश्चित कर सकेंगे. भारसाधक अधिकारी ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध अनुज्ञा-पत्रों की संख्या विनिश्चय करेंगे.

(3) पर्यटन द्वार अनुज्ञा-पत्र सफारी दिवस के एक दिन पूर्व सायं काल 5:00 बजे से उपलब्ध होंगे. बुकिंग का वास्तविक समय संरक्षित क्षेत्र के भार साधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा.

(4) सुनिश्चित एकल सीट अनुज्ञा-पत्रधारी को प्रवेश समय के आधा घंटा पूर्व नियत प्रवेश द्वार पर उपस्थित रहेंगे तथा काउंटर पर अपने-अपने अनुज्ञा-पत्र एवं परिचय-पत्र दर्शित करने होंगे. यदि वे प्रवेश समय के आधा घंटा पूर्व पहुंचने में असफल रहते हैं तो उनके अनुज्ञा-पत्र स्वमेव निरस्त माने जाएंगे. ऐसे अनुज्ञा-पत्र प्रवेश द्वार पर एकल सीट अनुज्ञा-पत्र के रूप में बुकिंग हेतु उपलब्ध होंगे..

(5) संपूर्ण वाहन अनुज्ञा-पत्र धारी पर्यटकों को प्रातः सफारी हेतु प्रवेश समय के एक घंटा पश्चात् तक तथा सायं सफारी हेतु पार्क प्रवेश समय के आधा घंटा पश्चात् तक प्रवेश द्वार पर अपने-अपने अनुज्ञा-पत्र तथा परिचय-पत्र दिखाने होंगे. यदि वे इस समय तक पहुंचने में असफल रहते हैं तो उनके अनुज्ञा-पत्र स्वमेव निरस्त माने जाएंगे एवं ऐसा अनुज्ञा-पत्र प्रवेश द्वार पर एकल सीट अनुज्ञा-पत्र के रूप में बुकिंग हेतु उपलब्ध होंगे. ऐसे उपलब्ध अनुज्ञा-पत्रों के पर्यटक अगले 30 मिनिट तक पार्क में प्रवेश कर सकेंगे. उन परिस्थितियों से अन्यथा जब पूर्व से बुक किये गये अनुज्ञा-पत्र के पश्चात् जारी अनुज्ञापत्रधारी पर्यटक समय पर पहुंचने में असफल रहते हैं तो सामान्यतः पार्क प्रवेश समय के एक घंटे पश्चात् पर्यटकों को अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए.

(6) प्रवेश अनुज्ञा-पत्र में सूचीबद्ध समस्त भारतीय पर्यटकों के लिए कोई एक विधिमान्य पहचान-पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, पेनकार्ड, वोटर आईडी, केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा जारी किया गया कोई अन्य परिचय-पत्र, स्कूल-कॉलेज द्वारा जारी परिचय-पत्र) रखना अनिवार्य होगा. यदि प्रवेश अनुज्ञा-पत्र में वर्णित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो प्रवेश अनुज्ञा-पत्र निरस्त हो जाएगा.

(7) प्रवेश अनुज्ञा-पत्र में सूचीबद्ध समस्त विदेशी पर्यटकों को उनके पहचान-पत्र के रूप में पासपोर्ट रखना अनिवार्य होगा. यदि प्रवेश अनुज्ञा-पत्र में वर्णित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो प्रवेश अनुज्ञा-पत्र निरस्त हो जाएगा.

(8) ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था के अंतर्गत, पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बार समस्त उपलब्ध संपूर्ण वाहन अनुज्ञा-पत्र बुक हो जाएंगे तो इच्छुक पर्यटकों को सीमित संख्या में (ऑनलाइन टिकिटों का 10 प्रतिशत, युक्तियुक्तकरण के पश्चात) ऑनलाइन प्रतीक्षा सूची के अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाएंगे. पुष्टिकृत अनुज्ञा-पत्र निरस्तीकरण की स्थिति में प्रतीक्षा वेटिंग अनुज्ञापत्रकों को प्राथमिकता से पुष्टिकृत किया जावेगा. यदि प्रतीक्षा सूची अनुज्ञा-पत्र सफारी के 5 दिन पूर्व तक भी पुष्टिकृत नहीं हो पाती है तो वह स्वमेव निरस्त हो जाएगी एवं बुकिंग के लिए प्रभारित प्रवेश शुल्क पोर्टल शुल्क से घटाकर वापस कर दी जाएगी.

5 एड-ऑन सुविधा

(1) उन संरक्षित क्षेत्रों के लिये जहां ऑनलाइन अनुज्ञा-पत्र बुकिंग सुविधा प्रचालन में है, तो पहले से बुक किये गये संपूर्ण वाहन अनुज्ञा-पत्र के लिए पर्यटकों के नाम वाहन की अधिकतम क्षमता हो जाने तक, निम्नलिखित शर्तों के साथ ऑनलाइन जोड़े जा सकेंगे:—

(क) मूल रूप से बुक किये गये अनुज्ञा-पत्र में न्यूनतम दो पर्यटकों के नाम वर्णित हों.

(ख) कम से कम दो पर्यटक जिनके नाम पर मूल अनुज्ञा-पत्र बुक किया गया था वे पार्क भ्रमण के दौरान उपस्थित हों अन्यथा अनुज्ञा-पत्र निरस्त माना जाएगा.

(ग) खण्ड (ख) में वर्णित उपबंध केवल उन्हीं अनुज्ञा-पत्रों पर लागू होंगे उसमें दोनों तरह के पर्यटक, मूल रूप से बुक किये गये एवं इस सुविधा का उपयोग कर जोड़े गये, पर्यटक हों. उन अनुज्ञा-पत्रों जिनमें एडऑन सुविधा का उपयोग नहीं किया गया हो, यदि उसमें प्रथम दो अथवा कोई अन्य पर्यटक सफारी के समय अनुपस्थित रहता है तो अनुज्ञा-पत्र बना रहेगा एवं अन्य उपस्थित पर्यटक सफारी हेतु जा सकेंगे.

(घ) केवल एक बार जाने में, अनुज्ञा-पत्र में चार अतिरिक्त पर्यटकों के नाम जोड़े (एड ऑन) जा सकेंगे. धारा-3 की सारणी (1) तथा धारा-3 की उपधारा (2) की सारणी (क) एवं (ख) पर आधारित ऐसे अतिरिक्त के लिए एक अनुज्ञा-पत्र का मूल्य एक अतिरिक्त शुल्क के बराबर जैसे टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु एवं अन्य क्षेत्रों हेतु रुपये 1,500/- देय होगी.

(ङ) एडऑन सुविधा किसी सफारी दिवस हेतु बुकिंग प्रारंभ होने के 7 दिवस उपरांत जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों पर ही उपलब्ध होगी. एडऑन सुविधा का लाभ अनुज्ञा-पत्र पर सफारी दिनांक के 30 दिवस से पूर्व लिया जा सकेगा.

(च) एडऑन सुविधा का उपयोग पुनर्निर्धारण सुविधा का उपयोग करने के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा.

6 प्रवेश अनुज्ञा-पत्र का निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण शुल्क

(1) ऐसे पर्यटक क्षेत्रों में जहां वाहन क्षमता नियत है, पर्यटक अपनी यात्रा की तारीख एवं पर्यटन जोन (उसी संरक्षित क्षेत्र के भीतर) का ऑनलाइन बुक किये गये अनुज्ञा-पत्रों का पुनर्निर्धारण एक बार उपलब्धता या निरस्तीकरण के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा. ऐसे निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण के लिए वे निम्नलिखित सारणी में विहित प्रभारों का भुगतान करेंगे:—

(2) सारणी:—

क्र.	ब्यौरे	निरस्तीकरण पश्चात् वापस की गयी रकम	पुनर्निर्धारण हेतु प्रभारित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रवेश/सफारी दिनांक से 30 दिवस या अधिक पूर्व अनुज्ञा-पत्र निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण.	पोर्टल शुल्क घटाने के पश्चात् अनुज्ञा-पत्र शुल्क की संपूर्ण रकम.	केवल पोर्टल शुल्क
2	प्रवेश/सफारी दिनांक के पूर्व 29 दिवस से 15 दिवस के मध्य अनुज्ञा-पत्र का निरस्तीकरण/ पुनर्निर्धारण.	अनुज्ञा-पत्र शुल्क एवं पोर्टल शुल्क का 50 प्रतिशत घटाने के पश्चात् शेष रकम.	अनुज्ञा-पत्र शुल्क एवं पोर्टल शुल्क का 50 प्रतिशत.
3	प्रवेश/सफारी दिनांक से 14 दिवस से सफारी प्रवेश दिनांक की पूर्व संध्या 5:00 बजे तक अनुज्ञा-पत्र निरस्तीकरण/ पुनर्निर्धारण.	अनुज्ञा-पत्र शुल्क तथा पोर्टल शुल्क 75 प्रतिशत घटाने के पश्चाच् शेष रकम.	अनुज्ञा-पत्र शुल्क एवं पोर्टल शुल्क 75 प्रतिशत.

(3) ऑलाइन बुक किये गये अनुज्ञा-पत्र यदि 5 दिवस या उससे पूर्व निरस्त/पुनर्निर्धारित किये जाते हैं, तो अनुज्ञा-पत्र अन्य पर्यटकों द्वारा ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध होंगे. अनुज्ञा-पत्र सफारी दिनांक के 5 या सफारी के पूर्व की कम दिन से एक दिन पूर्व सायं 5 बजे तक निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण की दशा में अनुज्ञा-पत्र क्षेत्र संचालक कोटा को बुकिंग हेतु उपलब्ध होगा. सफारी की तारीख के एक दिन पूर्व सायं 5:00 बजे के पश्चात्, निरस्तीकरण/ पुनर्निर्धारण कराना संभव नहीं होगा.

(4) यदि निरस्तीकरण सुविधा का उपयोग-एड-ऑन पुनर्निर्धारण के पश्चात् किया जाता है तो पश्चात् निरस्तीकरण वापसी रकम की गणना मूल अनुज्ञा-पत्र शुल्क के लागू (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रुपये 1,500/- या अन्य क्षेत्रों हेतु उपधारा 3 की सारणी (1) एवं (2) के अनुसार विनिश्चित शुल्क) प्रतिशतता के अनुसार संगणित की जाएगी.

(5) यदि निरस्तीकरण का उपयोग एड-ऑन सुविधा के उपयोग करने के पश्चात् किया जाता है, तो निरस्तीकरण पश्चात् की वापसी की रकम मूल अनुज्ञा-पत्र के शुल्क एड-ऑन का शुल्क (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रुपये 3,000/- या अन्य क्षेत्रों हेतु उपधारा (3) की सारणी (1) तथा (2) के अनुसार विनिश्चित शुल्क) लागू प्रतिशतता के अनुसार संगणित की जाएगी.

(6) यदि पुनर्निर्धारण का उपयोग एड-ऑन सुविधा के उपयोग करने के पश्चात् किया जाता है तो पुनर्निर्धारण शुल्क मूल अनुज्ञा-पत्र का शुल्क (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रुपये 1,500/- या अन्य क्षेत्रों हेतु उपधारा-3 की सारणी (1) तथा (2) के अनुसार विनिश्चित शुल्क) के लागू प्रतिशतता के अनुसार संगणित की जाएगी.

7. पर्यटन हेतु संरक्षित क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश का विनियम—

(1) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी एक पर्यटन वर्ष हेतु अपने संरक्षित क्षेत्र के भीतर पर्यटन के प्रयोजनों हेतु वाहनों का पंजीकरण करेगा. वह भौगोलिक विशिष्टताओं, पर्यटन आवश्यकताओं एवं क्षेत्र के अन्य स्थानीय तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाहनों और चालकों हेतु न्यूनतम अर्हताकारी मानक विनिश्चित करेगा. वह वाहनों की कतिपय श्रेणी का प्रवेश प्रतिबंधित कर सकेगा.

(2) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी क्षेत्र की पर्यटन वाहन क्षमता, क्षेत्र में पर्यटकों के भ्रमण के रुझान, नवीन पर्यटन जोन की उपलब्धता के आधार पर एवं स्टेकहोल्डरों से चर्चा पश्चात् पंजीकृत वाहनों की संख्या विनिश्चय करेंगे. यदि पर्यटक वाहन की वर्तमान संख्या ऐसी विनिश्चित संख्या से कम है तो नये पर्यटक वाहन पंजीकृत किये जा सकेंगे. यदि पर्यटक वाहन की वर्तमान संख्या ऐसी विनिश्चित संख्या से अधिक है तो समस्त वाहन पंजीकृत किया जा सकेंगे.

(3) समस्त पंजीकृत वाहन रोस्टर पद्धति के अंतर्गत प्रचलित होंगे. रोस्टर पद्धति संरक्षित क्षेत्र के भार-साधक अधिकारी के समक्ष पंजीकृत पर्यटक वाहन संस्था द्वारा प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित प्रबंधन द्वारा विनिश्चित प्रक्रिया से प्रबंधित होगी.

(4) मध्यप्रदेश पर्यटन निगम द्वारा प्रचलित पर्यटन बस या संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन द्वारा प्रचलित कोई पर्यटक वाहन रोस्टर पद्धति का हिस्सा नहीं होगा.

(5) प्रवेश द्वार से पार्क भ्रमण के लिए उपयोग किए गए पंजीकृत पर्यटक वाहन हेतु वाहन किराया प्रभार्य पर्यटकों द्वारा देय होगा. ऐसे भ्रमण के लिये किराया शुल्क संरक्षित क्षेत्र के भार-साधक अधिकारी द्वारा पर्यटक जोन में मार्गों की लम्बाई, सफारी की अवधि तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर तथा मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा अधिसूचित लागू दरों के आधार पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चित की जाएगी.

(6) यदि कोई पर्यटक/पर्यटक समूह रोस्टर के माध्यम से आवंटित पंजीकृत वाहन से भिन्न अन्य पंजीकृत वाहन से पार्क भ्रमण की इच्छा रखते हैं तो उसे रोस्टर द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन को लागू वाहन किराया प्रभार का 70 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करना होगा. ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पश्चात् वाहन रोस्टर पूर्ण होने तक अनुपलब्ध माना जाएगा तथा एक बार रोस्टर पूर्ण होने पर विशिष्ट वाहन पुनः रोस्टर में उपलब्ध होगा.

(7) **किसी वाहन को पंजीकृत करने के पूर्व, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा गठित समिति द्वारा, पर्यटन वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समस्त वाहनों का फिटनेस एवं वाहन तथा वाहन चालक हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी मानक के आधार पर परीक्षण किया जावेगा. वाहन का प्रदूषण परीक्षण तथा फिटनेस आरटीओ के माध्यम से कराया जाकर सहायक संचालक स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा. उपरोक्त से संबंधित दस्तावेज क्षेत्र संचालक कार्यालय में संधारित किये जाएंगे.**

(8) समस्त पंजीकृत वाहनों हेतु रुपये 2,000/- का पंजीयन शुल्क देय होगा. उक्त शुल्क संरक्षित क्षेत्र की उद्यान विकास निधि में जमा किया जाएगा.

(9) पर्यटन अवधि के दौरान संरक्षित क्षेत्र के अंदर सुरक्षित वाहन चालन सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत उद्यान वाहनों के वाहन चालकों के लिए फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित होगा.

(10) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी, पंजीकृत वाहनों के मालिक/वाहन चालक द्वारा पर्यटन क्षेत्र में प्रवृत्त किसी नियम या अधिनियम की शर्तों के उल्लंघन की दशा में संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी पंजीकृत पर्यटन वाहन की प्रवेश अनुमति/पंजीकरण को कुछ अवधि के लिये रद्द कर सकेगा अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर सकेगा.

7(11) **डीजल अथवा पेट्रोल चलित वाहन जो मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करते हों, पर्यटक वाहनों के रूप में पंजीकरण किये जा सकेंगे. समस्त पर्यटक वाहन अपने प्रारंभिक पंजीकरण वर्ष से 10 वर्षों तक की अवधि तक पर्यटन पंजीकरण हेतु पात्र होंगे.**

7(12) (ए) पर्यटन के लिए संरक्षित क्षेत्र के अंदर मोटर चलित नावों/पोतों का विनियमन:—

1. संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के संरक्षित क्षेत्र के अंदर पर्यटन उद्देश्यों के लिए मोटर चलित नाव/पोत का पंजीकरण 5 पर्यटन वर्षों के लिए करेंगे. वह निम्नानुसार दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नाव/पोत के लिए न्यूनतम पात्रता मानकों का निर्धारण करेगा:—

   i. मोटर चलित नाव/पोत की अधिकतम अनुमत्य क्षमता 50 से अधिक व्यक्तियों की नहीं होगी.

   ii. जल पर्यटन के लिये निर्धारित धारण क्षमता के भीतर ही मोटर चलित नाव/पोत का पंजीकरण किया जायेगा.

   iii. मोटर चलित नाव/पोत को आई.आर.एस. मापदंड या आई.ए.सी. एस/आई.एस.सी. मापदंडों के अनुसार ही निर्मित किया जाएगा और जो संबंधित नियामक प्राधिकरण एम.एम.डी. और राज्य समुद्री विभाग के साथ पंजीकृत नौसेना वास्तुकार द्वारा प्रमाणित हो.

   iv. मोटर चलित नाव/पोत प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए और मोटर चलित नाव/पोत से किसी भी तरह का अपशिष्ट जल में या उसके आस-पास नहीं छोड़ा/बिखेरा जावेगा.

   v. वन भूमि पर ईंधन और तेलों के भंडारण की अनुमति नहीं होगी.

   vi. मोटर चलित नाव/पोत के न्यूनतम मानकों के साथ-साथ मानक आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा बाक्स, विशेष रूप से पानी के बचाव के लिए विकसित बचाव ट्यूब, तटवर्ती संचार उपकरणों, अग्नि शमन के यंत्र और सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का मोटर चलित नाव/पोत पर उपलब्ध होना अनिवार्य होगा.

2. मोटर चलित नाव/पोत का पंजीकरण की प्रक्रिया दो चरण की होगी. विस्तृत प्रक्रिया, आवेदन का प्रारूप, आवेदन शुल्क और पंजीकरण शुल्क आदि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा तय किए जाएंगे, जो नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे:—

   i. संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी निर्दिष्ट जल संरचनाओं में मोटर चलित नाव/पोत के पंजीकरण के लिये निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए विज्ञप्ति जारी करेंगे. विज्ञप्ति को समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से और सार्वजनिक सूचना पटल पर सामान्य नोटिस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा.

ii. इच्छुक आवेदक राज्य सरकार द्वारा तय किए गए निर्धारित अभिलेखों और आवेदन शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में निवेश करने के इरादे से आवेदन कर सकेगें.

iii. संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा जांच हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी. पात्र पाए जाने वाले, आवेदक को निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य पत्र जारी किया जाएगा. स्वीकार्यता पत्र जारी करने से एक वर्ष की समय-सीमा के भीतर आवेदक को न्यूनतम निर्धारित मानकों के अनुसार मोटर चलित नाव/पोत, अपेक्षित प्रमाणित कर्मचारियों और संचालन और सुरक्षा गियर आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा. आवेदक को मोटर चलित नाव/पोत को संचालन के लिए सभी आवश्यक लाइसेंस और पूर्व-अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को भी उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर जमा करना होगा.

iv. उपरोक्त (III) में उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर, संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे. पंजीकरण से पहले की सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति की संतुष्टी होने पर, संरक्षित क्षेत्रों के प्रभारी अधिकारी 5 वर्षों के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क लेने के बाद लाइसेंस जारी करेंगे, जो इस शर्त के अधीन होगी कि मोटर चलित नाव/पोत हर पर्यटन सीजन से पहले जांच में संचालन के लिए फिट पाए जावे.

v. आवश्यक शुल्क के साथ संरक्षित क्षेत्र के अधिकारी प्रभारी द्वारा तय किए गए प्रारूप में नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करके मोटर चलित नाव/पोत के पंजीकरण को प्रारंभिक 5 पर्यटन वर्षों के बाद नवीनीकृत किया जा सकता है. पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा. संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा मोटर चलित नाव/पोत की फिटनेस स्थिति और अन्य वांछित आवश्यक शर्तों का आंकलन करने के बाद, यदि यह सही पाता है तो आवश्यक नवीकरण शुल्क लेने के बाद, अगले 3 पर्यटन वर्षों के लिए पंजीकरण को नवीनीकृत करेगा, जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि मोटर चलित नाव/पोत हर पर्यटक मौसम से पहले संचालन के लिए फिट पायी जावे. प्रथम नवीनीकरण के पश्चात् पुनः नवीनीकरण एक पर्यटन वर्ष के लिए होगा, जो प्रथम नवीनीकरण में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार होगा.

3. **पंजीकरण की शर्तें**:—लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाएगा:—

i. मोटर चलित नाव/पोत मालिक/संचालक और उसके कर्मचारी हर समय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, अन्य प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों, उनमें किए गए प्रावधानों और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन द्वारा निर्धारित किए गए क्या करें एवं क्या न करें प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेगें.

ii. सभी मोटर चलित नाव/पोत इकाई मालिक/संचालकों को एनआईडब्ल्यूएस या समकक्ष एजेंसी द्वारा निर्धारित अधोसंरचना उपकरणों/सहायक उपकरणों, मालिकों/संचालकों की अर्हता और जल क्रीड़ा संचालन के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप न्यूनतम मानकों का पालन करना होगा.

iii. मालिकों/संचालकों के पास उनके कर्मचारियों के गतिविधियों में शामिल होने के लिए NIWS या भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी संबंधित संस्थान से वैध प्रमाणीकरण होना चाहिए.

iv. इकाई मालिकों/संचालकों को मोटर चलित नाव/पोत के लिए खरीदे गए समस्त नए उपकरणों का डिजाइन के साथ-साथ निर्माण किसी प्रमाणन एजेंसी जैसे इंडिया रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) से प्रमाणिक होना चाहिये. मौजूदा उपकरणों में सेवा क्षमता और अंतर्देशीय जल हेतु योग्यता के लिए पंजीकृत समुद्री वास्तुकार से समान प्रमाणन होना चाहिए.

v. मालिक/संचालक को किसी भी दुर्घटना, चोट, मृत्यु या जल सफारी के दौरान होने वाले किसी अन्य नुकसान के खिलाफ पर्यटकों का बीमा कराना होगा.

vi. मोटर चलित नाव/पोत की धारण क्षमता और पंजीकरण संख्या को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि इसे यात्रियों के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा भी आसानी से देखा जा सके.

vii. बोयेंसी एड्स पर्याप्त संख्या में और विभिन्न आकारों में उपलब्ध होना चाहिए ताकि वे सभी आकारों और आयु वर्ग के पर्यटकों को फिट हो सकें.

viii. मानक आपूर्ति सहित एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और बचाव ट्यूबों के साथ, जो विशेष रूप से पानी के बचाव के लिए विकसित किया गया हो, पर्याप्त संख्या में मोटर चलित नाव/पोत पर होना चाहिए और उसकी समय-समय पर जाँच और अद्यतन किया जाना चाहिए.

ix. जल सफारी हेतु निर्देष्ट लैडिंग स्थल पर पंजीकृत मोटर चलित नाव/पोत का किराया शुल्क, पर्यटकों द्वारा अग्रिम रूप से देय होगा. पर्यटन क्षेत्र में जल सफारी की लंबाई, सफारी अवधि और मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा अधिसूचित दरों को आधार के रूप में मानते हुए ऐसी यात्रा के लिए किराया शुल्क संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा.

x. पर्यटन मौसम की शुरुआत से पहले प्रत्येक वर्ष मोटर चलित नाव/पोत को पर्यटन में चलाने की अनुमति देने के पूर्व, संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि या गठित समिति, सभी मोटर चलित नाव/पोत की फिटनेस और नावों एवं चालकों के लिए न्यूनतम पात्रता मानकों की जांच करेगी.

xi. मालिक/संचालक या उसके कर्मचारी, संरक्षित क्षेत्रों के प्रभारी अधिकरी की पूर्व अनुमति के बिना नाव/पोत की अधोसंरचना में कोई भी परिवर्तन, परिवर्धन या इजाफा नहीं करेंगे.

xii. सभी मालिक/संचालक प्रत्येक माह की 5 तारीख को उनके द्वारा विगत माह में सेवित भारतीय और विदेशी पर्यटकों के संबंध में संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आंकड़े, संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकरी को उपलब्ध कराएंगे.

xiii. मोटर चलित नाव/पोत मालिकों/संचालकों को सेवाओं को चलाने के लिए कुल रोजगार के न्यूनतम 70 प्रतिशत से स्थानीय समुदाय में से नियोजित करना होगा.

xiv. अपराधिक पृष्ठभूमि वाले कोई भी व्यक्ति को मोटर चलित नाव/पोत के संचालन में नियोजित नहीं किया जाएगा.

xv. मोटर चलित नाव/पोत के मालिक/संचालक/कर्मचारी/ड्राइवर आदि में वांछित योग्यताएं होनी चाहिए जैसे कि जीवन रक्षक तकनीक, पावर बोट हैंडलिंग, सी.पी.आर., प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) या इसी तरह के मान्यता प्राप्त संस्थानों से अन्य आवश्यक प्रमाणन.

xvi. किसी भी मोटर चलित नाव/पोत के मालिक/संचालक अपनी नाव/पोत में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा.

xvii. कोई मोटर चलित नाव/पोत की गति निर्धारित गति सीमा से अधिक नहीं होगी जैसी कि संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गई हो और यह भी जल सफारी के दौरान नाव/पोत को नहीं रोका जावेगा ताकि 2 नावों के बीच न्यूनतम निर्धारित दूरी बनाई रखी जा सके.

xviii. मोटर चलित नाव/पोत में एक कुशल जल पंप या बॉयलर होना चाहिए.

xix. किसी भी मोटर चलित नाव/पोत में, मोटर चलित नाव/पोत के पंजीयन में अनुमत्य अधिकतम व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के नहीं ले जाया जाएगा.

xx. कोई भी मोटर चलित नाव/पोत लापरवाही या गैर जिम्मेदार तरीके से नहीं चलाई जाएगी और इस तरह से आगे निकाली या नेविगेट नहीं की जाएगी कि उसकी स्लिपस्ट्रीम किसी अन्य मोटर चलित नाव/पोत के लिए खतरनाक हो.

xxi. ईधन और तेल के भंडारण करने की अनुमति वन क्षेत्रों की सीमा के भीतर नहीं दी जाएगी.

xxii. कोई भी व्यक्ति चलती हुई नाव/पोत से नहीं चढ़ेगा/उतरेगा.

xxiii. मोटर चलित मोटर चलित नाव/पोत प्रदूषण मुक्त होना चाहिए और मोटर चलित नाव/पोत से किसी भी तरह का अपशिष्ट पानी में या आस-पास नहीं होना चाहिये और मोटर चलित नाव/पोत को कुशल साइलेंसर से सुसज्जित किया जाना होगा.

xxiv. जल सफारी के दौरान किसी भी पौधे, पक्षी या वन्यजीव को कोई नुकसान या व्यवधान नहीं पहुंचाया जावेगा.

xxv. संरक्षित क्षेत्रा के प्रभारी अधिकारी या संरक्षित क्षेत्रा के किसी भी अन्य अधिकारी को मोटर चलित नाव/पोत में प्रवेश करने, निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

xxvi. किसी भी दुर्घटना/अप्रिय घटना की स्थिति में, यूनिट मालिक/संचालक, तेजी से संचार करने वाले माध्यम का उपयोग करके स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस थाना और संरक्षित क्षेत्र के अधिकारी को तत्काल सूचित करेगा.

xxvii. मोटर चलित नाव/पोत के मालिक/संचालक या उसके कर्मचारियों द्वारा पंजीयन की शर्तों या जल सफारी हेतु लागू किसी नियम या अधिनियम के उल्लंघन की दशा में संरक्षित क्षेत्रा के प्रभारी अधिकारी निश्चित अवधि या स्थायी रूप से पंजीकृत पर्यटन मोटर चलित नाव/पोत की अनुमति/पंजीयन निरस्त कर सकेगा या/मुआवजा अधिरोपित कर सकेगा.

xxviii. संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित स्थितियों में भी मोटर चलित नाव/पोत की प्रवेश अनुमति और पंजीकरण रद्द कर सकते हैं :—

(क) मोटर चलित नाव/पोत इकाई के मालिक/संचालक को भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 और 16 के तहत या उनके अंतर्गत बनाए नियमों के तहत, या जमाखोरी या तस्करी या मुनाफाखोरी या खाद्य मिलावट या भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित किसी भी कानून के तहत दोषी ठहराया गया है, और अगर इस तरह की सजा की तारीख से 2 साल की अवधि समाप्त नहीं हुई है.

(ख) मोटर चलित नाव/पोत इकाई के मालिक/संचालक को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है और उसे भुनाया नहीं गया है.

(ग) मालिक/संचालक या गाइड या मोटर चलित नाव/पोत के चालक के पास निर्धारित वैधानिक रूप से आवश्यक योग्यता न हों.

8. **फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी हेतु दरें :**

(1) पर्यटकों को सामान्य सफारी भ्रमणों के दौरान उनके स्टिल अथवा वीडियो कैमरे नि:शुल्क उपयोग करने की अनुज्ञा होगी. पर्यटक उनके मोबाइल फोन या समकक्ष उपकरणों का उपयोग फोटो खींचने के लिए उपयोग करने की अनुमति है. पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखना उनके लिये अनिवार्य होगा. संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी इस संबंध में अतिरिक्त नियम लागू कर सकेगा.

(2) संरक्षित क्षेत्रों में विशेष फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा कैमरामेन के नाम से दी जाएगी. शुल्क निम्नलिखित सारणी के आधार पर होगा.

अवधि	भारतीय शैक्षणिक/ अनुसंधान संस्थान; भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार के विभाग एवं संस्थान (शुल्क रु. में/दिन)	अन्य (शुल्क रु. में/दिन)	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रथम सात दिन तक 8वें दिन से 15वें दिन 16वें दिन से 30वें दिन तक 31वें दिन से 120 दिनों तक	रु. 10,000 रु. 7,500 रु. 5,000 रु. 4,000	रु. 40,000 रु. 30,000 रु. 20,000 रु. 5,000	अनुज्ञा पत्र शुल्क प्रति दिवस की दर से है. कैमरामेन द्वारा अपेक्षित अनुज्ञा पत्र शुल्क एकमुश्त जमा किया जाएगा.

8(2) (क) लाइव टेलीकास्ट हेतु दरें राज्य शासन द्वारा तय की जा सकेंगी.

(3) किसी संरक्षित क्षेत्र या चिड़ियाघर के लिए फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अनुज्ञापत्र शुल्क का विनिश्चय करने हेतु धारा-3 की उप-धारा (1) की सारणी प्रश्नगत विशिष्ट क्षेत्र की श्रेणी के पूर्व उल्लेखित गुणांक के धारा-8 की उप-धारा (2) में उल्लेखित दरों के साथ गुणा किया जाएगा. श्रेणी-छह के क्षेत्रों हेतु श्रेणी-पाँच के अनुरूप गुणांक का उपयोग किया जाएगा. इस गुणन के परिणाम वास्तविकअनुज्ञाशुल्क प्राप्त करने के लिए 10 रुपये या उसके गुणांकों तक पूर्णांकित किया जाएगा.

(4) धारा-8 की उप-धारा (2) में उल्लिखित दरें केवल तब लागू होंगी यदि फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी के लिए अनुमति समय से परे है तथा साधारण पर्यटकों के लिए मार्गों से हटकर मांगी जाती हैं. यह शुल्क वीडियोग्राफी/फिल्मांकन//फोटोग्राफी की पूरी अवधि के लिए अग्रिम देय होगी. यह अनुज्ञा साधारणत: खुले सीजन

के लिए जारी की जाएगी और यह भागों में भी हो सकती है. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की पूर्व अनुज्ञा से विशेष कारणों से फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए प्रवेश की अनुज्ञा बंद अवधि के दौरान भी जारी की जा सकती है.

(5) कैमरामेन से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की अनुज्ञा जारी की गई है. उसकी सहायता करने के लिए उसके साथ अधिक से अधिक 3 व्यक्ति अनुज्ञात किये जा सकते हैं. उन्हें फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा होगी. 4 व्यक्तियों की इस टीम से पृथक से कोई प्रवेश शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी.

(6) किसी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा साधारणतया केवल प्राकृतिक सौन्दर्य, वन्य जीव अथवा क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास की रिकार्डिंग करने के लिए ही दी जाएगी. तथापि, सरकार विशेष परिस्थितियों के अधीन किसी अन्य कारण से ऐसे कार्य की अनुज्ञा दे सकेगी बशर्ते कि इससे क्षेत्र के पर्यावरण अथवा वन्यजीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. ऐसी अनुज्ञा के लिए विशेष दरें प्रभारित की जाएंगी जो किसी भी दशा में, उप-धारा (3) के अधीन विहित दर से पाँच गुना से कम नहीं होगी.

(7) वन विभाग द्वारा बनाई जाने वाली या अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के माध्यम से फिल्माई जाने वाली वन्यजीवन आधारित फिल्में/वृत्तचित्र/दस्तावेज, जिनका उपयोग अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार, जागरूकता अथवा संरक्षण शिक्षा प्रयोजन के लिए किया जाना है, की वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा दी जा सकेगी, जिसके लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा. समस्त ऐसी फिल्मों पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा.

9. **हाथी पर भ्रमण :**

(1) हाथियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए विहित शुल्क के भुगतान उपरांत एवं संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकरी द्वारा निर्धारित मार्गों पर पर्यटक हाथी से भ्रमण कर सकेंगे.

(2) हाथी पर सवारी आधा घंटे की होगी, जिसके लिए प्रतिव्यक्ति शुल्क रुपये 1,000 होगा. 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को उनके माता पिता/अभिभावकों के साथ निःशुल्क अनुज्ञात किया जाएगा. 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिये शुल्क रुपये 500/- होगा किन्तु सीट की गणना के लिए इसे पूर्ण सीट के रूप में माना जाएगा.

(3) हाथी पर सवारी हेतु महावत को छोड़कर अधिकतम चार व्यक्तियों को अनुमत किया जाएगा.

(4) हाथी पर सवारी हेतु संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकरी अतिरिक्त नियम अधिरोपित कर सकेगा.

(5) ऐसे कैमरामैन की मांग पर, जिसने कि धारा-8 की उप-धारा (2) एवं (3) के अधीन वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा प्राप्त की है, हाथी तीन घंटों के लिये प्रति हाथी निम्नलिखित शुल्क के भुगतान पर दिया जा सकता है. उक्त फिल्मांकन हेतु कैमरामेन के साथ हाथी पर अधिकतम एक सहायक को अनुमति दी जाएगी.

(एक)	भारतीय शैक्षणिक अथवा अनुसंधान संस्थान तथा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार के विभागों और संस्थानों के लिए.	Rs. 6,000/-
(दो)	अन्य सभी व्यक्ति	Rs. 24,000/-

10. **नौकायन :**

(1) ऐसे समस्त संरक्षित क्षेत्रों में, जहां उनके जलाशयों/नदियों/जलनिकायों में नौकायन की संभावना हो, नौकायन हेतु नियम तथा विभिन्न प्रकार की नौकायन गतिविधियों के लिए दरें संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएंगी. ऐसी गतिविधियां मध्यप्रदेश के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा अनुमोदन के पश्चात् प्रारंभ की जाएंगी.

(2) केवल राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य में मोटर चलित नौका द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति घण्टे नौकायन हेतु रुपये 150/- शुल्क होगा.

11. **स्थानीय गाइड एवं पर्यटक सहायक :**

(1) पर्यटन तथा फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले समस्त परिदर्शकों के साथ संचालक/क्षेत्र संचालक/वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी अथवा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त प्रतिनिधि/पंजीकृत स्थानीय गाइड/पर्यटक सहायक अनिवार्य रूप से होगा. एक स्थानीय गाइड/पर्यटक सहायक वह व्यक्ति होगा जो उस जिले या उन जिलों के निवासी से संबंधित हो और सामान्यतः वहां निवास करता हो, जहां राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य स्थित है.

(2) **गाइड/पर्यटक सहायक के लिए न्यूनतम अर्हताएं :—**

(क) **गाइड श्रेणी जी-1** : 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान, सभी स्तनपायी प्राणियों एवं सामान्य पक्षियों की पहचान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक तथ्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण के वनों के संबंध में सामान्य ज्ञान, वन्य प्राणियों के रास्तों एवं चिन्हों, वन्य प्राणी गणना एवं वन्यप्राणी गणना के आंकड़ों का ज्ञान, विवेचन केन्द्र, पर्यटन नियमों, क्या करें तथा क्या न करें, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों के भूगोल एवं भू-आकृति का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव तथा ईकोटूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित न्यूनतम अर्हता मानदण्डों का पूर्ण करता हो.

(ख) **गाइड श्रेणी जी-2** : वन्यप्राणियों का ज्ञान, वन मार्गों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के विषय में सामान्य ज्ञान, वन्य प्राणी प्रबंधन, वन्य प्राणी के व्यवहार एवं रहवास आदि का ज्ञान, पर्यटन नियमों, क्या करें तथा क्या न करें का ज्ञान, वनों तथा वन्यप्राणियों के बारे में और सीखने हेतु उत्सुकता. तथा ईकोटूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित न्यूनतम अर्हता मानदण्डों का पूर्ण करता हो.

(ग) **पर्यटक सहायक** : कोई भी स्थानीय व्यक्ति जो संरक्षित क्षेत्र के भीतर ट्रेकिंग, कैंपिंग कर रहे पर्यटकों के साथ पर्यटक सहायक का काम करने हेतु इच्छुक हो.

(3) **गाइड/पर्यटक सहायक हेतु शुल्क** :—गाइड/पर्यटक सहायक की सेवाएं लेने हेतु निम्नानुसार होगा:—

क्रमांक	श्रेणी	गाइड/पर्यटक सहायक शुल्क (रु.)		
		वाहन से भ्रमण (एक राउंड)	ट्रैकिंग/साइकिलिंग (प्रतिदिन)	कैम्पिंग (दो दिन व एक रात्रि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**G-1**	रु. 600	रु. 1200	रु. 2400
2	**G-2**	रु. 480	रु. 960	रु. 1920
3	पर्यटक सहायक	—	रु. 600	रु. 1200

टीप : पचमढ़ी के समस्त पर्यटन क्षेत्रों के भ्रमण करवाने हेतु पंजीकृत प्रशिक्षित गाइडों का शुल्क प्रति दिवस 600 रुपये होगा.

(क) पूरे दिन के लिए सेवाएं लिए जाने की दशा में गाइड को ट्रेकिंग/साइकिलिंग हेतु नियत दरों से भुगतान किया जाएगा.

(ख) **विशेष दर्शनीय स्थलों पर सेवाएं प्रदान करने वाले गाइड हेतु शुल्क:** केन घड़ियाल अभयारण्य के रनेहफाल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पांडव फाल आदि जैसे स्थानों हेतु जहां कि गाइड की सेवाएं अल्पावधि के लिए ली जाती हैं वहां सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र का प्रबंधक स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आनुपातिक दरें नियत करेगा.

12. **पर्यटन अवधि, क्षेत्र आदि का नियमन :**

(1) सामान्यतः वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य, सैलाना अभयारण्य, सरदारपुर अभयारण्य, ओरछा अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फाल, केन घड़ियाल अभयारण्य में रनेहफाल, पचमढ़ी स्थित दर्शनीय स्थल, चिड़ीखोह (नरसिंहगढ़ अभयारण्य), रातापानी अभयारण्य में भीमबैठका बर्रूसोत व देलाबाड़ी, मुकुन्दपुर चिड़ियाघर, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के लिए कोई बंद अवधि नहीं होगी. संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक किसी क्षेत्र को वर्षभर खुला रखने हेतु घोषित कर सकेगा. किन्तु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उससे होने वाले संभावित दुष्प्रभावों का आकलन कर ऐसे संभावित दुष्प्रभावों को कम करने हेतु प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली जाए.

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के अंदर अन्य समस्त स्थानों के लिए 1 जुलाई से 30 सितम्बर के बीच की अवधि में पर्यटन या फोटोग्राफी के लिए प्रतिबंधित अवधि रहेगी और वर्ष की शेष अवधि पर्यटन एवं फोटोग्राफी के लिए खुली अवधि होगी. तात्कालिक मौसम परिस्थितियों एवं अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र को भारसाधक अधिकारी 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य सीमित क्षेत्रों, वन मार्गों को पर्यटन हेतु खोलेगा. टाइगर रिजर्व्स के बफर क्षेत्र पर्यटन हेतु वर्ष भर खुले रहेंगे.

(3) राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के अंदर वाहनों द्वारा भ्रमण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय के आधार पर होगा और तदनुसार परिवर्तित किया जाएगा. प्रवेश एवं निर्गम का वास्तविक समय अधिसूचित किया जाएगा तथा प्रवेश द्वार के सूचना पट पर प्रदर्शित एवं अनुज्ञा पत्रों पर मुद्रित किया जाएगा. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में अवस्थित पर्यटन जोन में पर्यटक कोर क्षेत्र में पर्यटन जोन हेतु अधिसूचित समय के आधा घंटा पश्चात् आ सकेंगे. सूर्यास्त उपरांत अधिकतम 4 घंटों की अवधि के लिये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल एवं रालामण्डल अभयारण्य, इन्दौर में वाहन सफारी की अनुमति होगी. इस हेतु विस्तृत शर्तें भार साधक अधिकारी निर्धारित करेंगे.

(4) राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के अंदर अन्य पर्यटन गतिविधियों हेतु सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य का समय क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित तथा अधिसूचित किया जाएगा.

(5) स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी किसी दिवस या किसी अवधि हेतु प्रवेश/निर्गम के समय में परिवर्तन कर सकेगा.

(6) पर्यटन के लिए खुले मार्गों और इन मार्गों पर अनुमत किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी.

(7) यदि आवश्यक हो तो संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी धारा 28(1) के अधीन वर्णित प्रयोजनों के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई क्षेत्रों या मार्गों को बंद विनिर्दिष्ट कर सकेगा.

13. **विशेष शुल्क :**

किसी संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी को मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के परामर्श से कम-से-कम दो माह की सूचना देने के पश्चात् पर्यटक यातायात के परिणामस्वरूप वन्य जीवन तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को विनियमित करने के उद्देश्य से लिखित आदेश के माध्यम से किसी संवेदनशील या विशिष्ट क्षेत्रों/मार्गों/गतिविधियों के लिए विशेष दरें अधिरोपित करने का अधिकार होगा.

14. **पर्यटन से होने वाली आय का स्थानीय समुदायों के साथ बाँटा जाना :**

टाईगर रिजर्व तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास प्रारंभिक रूप से वन्यजीव संसाधनों के अक्षर उपभोग से अनवरत है और स्थानीय समुदायों को मांसाहारी वन्यप्राणियों के द्वारा पालतु पशुओं के शिकार और जंगली शाकाहारियों द्वारा फसलों के विनाश एवं आय में कमी के रूप में संरक्षण की कीमत चुकानी पड़ती है. एक वर्ष में उस संरक्षित क्षेत्र की विकास निधि में जमा की गई समस्त पर्यटन प्राप्तियों का एक तिहाई उस संरक्षित क्षेत्र की ईको विकास समितियों के साथ बाँटा जाएगा.

15. **विविध :**

(1) कोई अन्य पर्यटन सेवा या गतिविधि जो इन नियमों में उल्लिखित नहीं है या उल्लिखित की गई है परन्तु प्रबंधन दृष्टिकोण से अब तक नहीं की गई है, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश की पूर्वानुमति से प्रारंभ की जा सकती है. किन्तु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसी गतिविधियों से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों का आंकलन न कर लिया गया हो और उनको नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली गई हो.

(2) संरक्षण संबंधी मुद्दों पर एवं पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों के बीच बेहतर समझ विकसित करने के लिए स्थानीय निवासियों "जंगल वालों के साथ एक शाम" कार्यक्रम के लिए इच्छुक समस्त स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा.

(3) किसी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या, जिसकी धारण क्षमता के आधार पर सीमित कर सकेगा. इसके अतिरिक्त, वह अन्य गतिविधियों जैसे नौकायन, टैकिंग, कैपिंग, हाथी पर भ्रमण, नेचर ट्रेल आदि के लिए पृथक्-पृथक् धारण क्षमता का भी विनिश्चय करेगा.

(4) वन्यप्राणी संरक्षण या प्रबंधन के दृष्टिकोण से अपरिहार्य परिस्थितियों के आधीन संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति या सभी व्यक्तियों द्वारा प्रवेश भ्रमण अथवा किसी मार्ग या स्थल का उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकता है.

(5) फिल्मांकन, नौकायन, वाहन से वन्यप्राणी दर्शन, हाथी पर भ्रमण, ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, कैपिंग एवं वॉच टॉवर/मचान/हाइड आदि के उपयोग एवं भविष्य में प्रारंभ की जाने वाली किसी अन्य गतिविधि के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा जारी किए जाएंगे, जो इन नियमों का भाग गठित करेंगे.

(6) राज्य शासन को विशिष्ट आदेशों के अधीन के सिवाय राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के भीतर कोई सभाएं, सम्मेलन, बैठक, आदि आयोजित नहीं की जा सकती है. यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी सलाहकार मंडल, मध्यप्रदेश वन अधिकारियों की बैठकों, वन अधिकारियों एवं वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशालाओं पर लागू नहीं होगा.

(7) किसी संरक्षित क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन, साइनबोर्ड, बैनर तथा चार्ट, आदि अनाधिकृत रूप से प्रदर्शित करना, चिपकाना या लगाना निषिद्ध होगा.

(8) कोई भी व्यक्ति किसी संरक्षित क्षेत्र में किसी भी वृक्ष, पुल, चट्टान, बागड़, सीट, नोटिस बोर्ड, कूड़ादान अथवा अन्य किसी भी वस्तु अथवा स्थल पर लिखी गई बात अथवा चिन्ह आदि को नष्ट नहीं करेगा, क्षति नहीं पहुंचाएगा अथवा उसे विरूपित नहीं करेगा.

(9) पर्यटन और फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन से वन्यप्राणियों को देखने के लिए स्पॉटलाइट का उपयोग प्रतिबंधित है.

(10) प्रवेश अनुज्ञा-पत्र की शर्तों अथवा प्रबंधन द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया:—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने पर्यटन के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया हो और प्रवेश अनुज्ञा की शर्तों अथवा प्रबंधन द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया हो, परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी रुपये 2,000/- की क्षतिपूर्ति लेने का हकदार होगा इसके अतिरिक्त सक्षम वन अधिकारी, वन्य जीव

(संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा किन्हीं अन्य विधिक उपबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियम अथवा किसी अन्य नियम के उपबंधों विधिक कार्यवाही कर सकेगा. संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी उसके प्रवेश अनुज्ञा-पत्र की शेष अवधि के लिए उसके प्रवेश को या तो अंशत: या पूर्णत: प्रतिबंधित भी कर सकेगा. ऐसी क्षतिपूर्ति व्यक्तियों से मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा जारी विस्तृत निर्देश के अनुसार वसूल की जाएगी.

(ख) कैमरामेन अथवा फोटोग्राफी/फिल्मांकन टीम के उसके सहायक द्वारा कोई उल्लंघन किये जाने पर, सक्षम वन अधिकारी द्वारा विधिक कार्रवाई के अतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसकी अनुज्ञा की शेष अवधि के किसी भाग अथवा पूर्ण अवधि के लिए उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकेगा.

(ग) पंजीकृत वाहन/नौका के चालक/नाविक द्वारा और उसमें उपस्थित गाइड द्वारा कोई उल्लंघन किए जाने पर, सक्षम वन अधिकारी द्वारा विधिक कार्रवाई के साथ-साथ परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी रुपये 2,000/- की क्षतिपूर्ति वसूल करने का हकदार होगा, प्रथम उल्लंघन की दशा में, उनका प्रवेश, साथ ही उनके वाहन/नौका का प्रवेश सात दिन के लिए, दूसरी बार उल्लंघन किए जाने की दशा में, एक मास के लिए और तीसरी बार उल्लंघन किए जाने की दशा में, शेष पर्यटन वर्ष (अगले कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से 30 जून) के लिए संरक्षित क्षेत्रों में अन्य विधिक कार्रवाईयों के साथ प्रतिबंधित किया जा सकेगा. ऐसे पंजीकृत वाहन/नौकाएं और उनके चालक/नाविक तथा प्रकृतिवादी/गाइड जिन्हें पिछले दो वर्ष के दौरान तीन बार दंडित किया गया हो, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य में अगले दो वर्ष के लिए प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक व्यक्तियों से ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये विस्तृत निर्देश जारी करेगा.

(घ) कोई आदतन अपराधी या घोर कदाचार अथवा नियमों के भंग में लिप्त कोई व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है.

(ङ) इस उप-धारा के अधीन किसी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया हो.

(11) दीपावली तथा होली के शासकीय अवकाशों पर समस्त संरक्षित क्षेत्र पर्यटन और वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए बंद रहेंगे. इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य दिनों का, जिनको कि पर्यटन और वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए संरक्षित क्षेत्र बंद रहेंगे, विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-14-82-1988-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के नियम क्र. एफ-14-82-1988-दस-2, दिनांक 18 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.